न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 04/2020 तारीख रजू 19.02.2020

सुशीला पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी रेल्वे क्वाटर्स के पीछे, चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती गोपाली पत्नी छोटू लाल जाति माली निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

........अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री अजय शेखर दवे एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री सुधीर जैन एडवाकेट

निर्णय दिनांक 17/8/22

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 1069/27–06–2019 आदेश दिनांक 20–11–2019 के द्वारा बिना सार्वजनिक नोटिस जारी किये और बिना भूमि विक्रय संबंधित नियमों की पालना किये गुपचुप तरीके से रास्ते की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अवैध रूप से निर्णय पारित कर पट्टा जारी किया है। यह है कि प्रार्थीया का ग्राम चौथ का बरवाडा में रिहायशी मकान बना हुआ है। मांगीलाल गार्ड से छोटू माली के मकान के सामने से रेलवे फाटक व बस स्टेण्ड को जाता हुआ 30 फुट चौडा रास्ता है जिस पर विपक्षीया द्वारा अतिक्रमण करने से घटकर 10–12 फुट रह गया है। यह है कि ग्राम पंचायत ने भूमि विक्रय के मामले में पंचायत राज नियम–136 से नियम 163 के प्रकिया की पालना नहीं [illegible] ग्राम पचायत ने उक्त आवंटन नियम 157 के तहत पुराने घरों का विनिय[illegible] किन्तु इस संबंध में विवादित भूमि पर विपक्षीया का कोई आवासीय कच्चा मकान [illegible] वर्ष से अधिक पूर्व का [illegible] हुआ होने का कोई साक्ष्य नहीं है। यह कि वि[illegible] पर अतिक्रमण को[illegible] के लिए सिविल न्यायालय में भी दावा किया उसमें भी उक्त भूमि में बाडा होने के तथ्य अंकित किये उसमें ग्राम मकान बने होने का कोई उल्लेख नहीं था जिसे सिविल न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 12/2016 का निर्णय दिनांक 13.03.2019 में विपक्षीया/वादी का कोई हित व अधिकार न होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय अति. जिला

मानते हुए दावा खारिज किया गया। अंत में वकील अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 20.11.2019 की पालना में जारी पट्टा दिनांक 14.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी को आवंटन नियम 157 के तहत पुराने घरों का विनियमितिकरण करना बताया है किन्तु इस संबंध में विवादित भूमि पर विपक्षीया का कोई आवासीय कच्चा मकान पचास वर्ष से अधिक पूर्व का बना हुआ होने का कोई साक्ष्य नहीं है। पुनः वकील निगरानीकर्त्ता ने कथन किया कि विपक्षीया द्वारा उक्त रास्ते पर अतिक्रमण को बनाने के लिए सिविल न्यायालय में भी दावा किया उसमें भी उक्त भूमि में बाडा होने के तथ्य अंकित किये उसमें खाम मकान बने होने का कोई उल्लेख नहीं था जिसे सिविल न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 12/2016 का निर्णय दिनांक 13.03.2019 में विपक्षीया/वादी का कोई हित व अधिकार न होना मानते हुए दावा खारिज किया गया। अपनी बहस के अंत में वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 20.11.2019 की पालना में जारी पट्टा दिनांक 14.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी वकील द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि निगरानीगुजार ने बिना किसी आधार के निगरानी पेश की है। निगरानी गुजार का ग्राम पंचायत के निर्णय से हित आहत नहीं हुआ है। धारा 97 के अन्तर्गत वहीं निगरानी प्रस्तुत कर सकता है जिसमें उसका हित अथवा अधिकार निहित हो। यह कि ग्राम पंचायत ने विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत निर्णय कर पटटा जारी किया है। बाकायदा आपत्ति के नोटिस जारी किए है तथा जब किसी व्यक्ति की आपत्ति पेश नहीं हुई तो मौका दिखवाकर जनरल मीटिंग में निर्णय किया है इसलिए निर्णय बिलकुल सही है। यह कि निगरानी गुजार स्वयं अतिकमी है। नजरी नक्शे में जिस स्थान पर उसका मकान बताया है यह मकान ग्राम पंचायत के सार्वजनिक शौचालयों को तोडकर अतिकमण करते हुए बना रखा है। आज दिन तक निगरानी गुजार ने कोई नजराना जमा कराकर पंचायत से पटटा नहीं लिया है। निगरानी गुजार के पति ओमप्रकाश सैनी के खिलाफ PDPP Act (Prevention of Public Property Damage Act) के तहत चालान पेश हुआ था जिसमें उसे न्यायालय में दोषी माना है और वह 5-6 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। यह कि पंचायत को ही यह अधिकार है कि किस जगह रास्ता कितना चौडा रहेगा तथा शेष भूमि रास्ते के ... उसे बेचने का अधिकार है। ग्राम पंचायत ने रास्ता दर्शित पर सी.सी. रोड ... यह ... भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित है जैसा कि नजरी नक्शा में स्पष्ट होता है कि चारो तरफ मकान बने हुए हैं अतः नियम 140 में दर्शित परिभाषा सपठित धारा 103 ... अनुसार यह आबादी भूमि की श्रेणी में आता है। यह कि विकय की गई भूमि के पटटे का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार चौथ का बरवाडा के यहां हो चुका है। इस प्रकार रजिस्टर्ड इन्स्ट्रूमेन्ट को धारा 97 के तहत सिविल कोर्ट के अलावा निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह कि निगरानी गुजार ने द्वेशता से वशीभूत होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है जबकि स्वयं निगरानीकर्ता अतिकमी है तथा वह आगे की भूमि भी अतिकमण करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर

कब्जा करना चाहती है। अपनी बहस के अंत में वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज की जाकर उसके पक्षकार को राहत प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पंचायत द्वारा अवैध रूप से रास्ते की जमीन पर पट्टा जारी करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर भी यह पाया जाता है कि पट्टाशुदा भूमि के सीमांकन में किसी तरह की कोई रास्ते की भूमि का अंकन नहीं पाया जाता है। साथ ही परिमाप नक्शे में भी पट्टा शुदा भूमि किसी तरह के रास्ते की भूमि पर होना नहीं पाया जाता है। मौका रिपोर्ट, पानी, बिजली के बिल गोपाली के पक्ष में है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा गैर मु0 आबादी का है। अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 20.11.2019 के आधार पर जारी पट्टा क्रमांक 8 जारी दिनांक 14.12.2019 में किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने क़ारण निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/8/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:21 IST
Reason: SelfAttested